

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी० ३सी०, २४४-२४५, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-२७, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक २०.०५.२०१८

क्रमांक / 2018 / १४३ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजना मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अंतर्गत पूर्व में प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, रेजा-कुली ट्रेड वाले पंजीकृत श्रमिकों को औजार किट प्रदाय करने से पूर्व मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई थी, जिसे वर्ष 2018-19 में दिए गए लक्ष्य के परिपालन में अधिक से अधिक संख्या में उपरोक्त ट्रेडों पर विभिन्न औजार किट प्रदाय करने हेतु उक्त अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जा सके।

उक्त आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(विशेष सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा आदेशित)


(पदुम सिंह एल्मा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक

२०.०५.२०१८

पृ०क० / /
प्रतिलिपि :- ३१४।

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
- निज सहायक माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
- श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
- सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी(छ०ग०)
- उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ०ग०)
- एनआईसी शाखा, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- लेखा शाखा, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर
- आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रेषित।


सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर